(c) Instructions are issued from time to time emphasising proper use of orderlies. Complaints about violation of such instructions are examined and suitable action is taken.

संसद सदस्यों को जीपों का आवंटन

4531. श्री फूलचन्द वर्मा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी लोक सभा के विघटन के तुरन्त पश्चात् किन-किन दलों के कितने कितने संसद सदस्यों को जीपे आवंटित की गई और प्रत्येक से कितना कितना मूल्य लिया गया ; और

(ख) 1970 में किन-किन दलों के कितने कितने सदस्यों को जीपे आवंटित की गयीं ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख). वर्तमान नीति के अनुसार पूर्व निर्धारित मूल्य पर संसद सदस्यों को 1 जनवरी, 1970 से 31 दिसम्बर, 1970 तक की अवधि में 39 जीप, और 1 जनवरी, 1971 से 28 फरवरी, 1971 की अवधि में 129 जीप बेची गई। क्रमानुसार दलगत स्थिति सभा पटल पर रखे गये विवरण 'क' में दी गई है। ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या LT—647/71]

वसूल किये गये मूल्य उसी प्रकार की गाड़ियों की पिछली नीलामी के समय के विक्रय मूल्यों पर आधारित हैं। अगस्त, 1970 से वर्तमान, विभिन्न बनावट एवं विभिन्न वर्गों के जीपों का मूल्य सभा पटल पर रखे गये विवरण 'ख' में सूचित किया गया है। ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या LT—647/71]

Payment of City Compensatory Allowance to Auxiliary Airmen

4532. SHRI PHOOL CHAND VERMA: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether the Auxiliary Airmen called up for regular service with the Indian Air Force from the Railways during the Emergency 1962 were not paid the City Compensatory Allowances at the Civil rate in contravention of Section 29(2) of the Reserve and Auxiliary Air Force Act, 1952 ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM) : (a) There has been no contravention of Section 29(2) of the Reserve and Auxiliary Air Force Act, 1952, which relates to pay and allowances during the period of training only. In the case of Civil Government servants, who were members of the Auxiliary Air Force and who were called up for active service, all local and compensatory allowances, were regulated in accordance with the Air Force Pay Code as laid down in Section 29(1) of the above mentioned Act. They were also made eligible for hazard pay, high altitude allowance, field area concessions and other benefits peculiar to Air Force Service, in accordance with Air Force Rules.

(b) Does not arise.

परिवार नियोजन केन्द्रों को जीपें आवंटित करने संबंधी कसौटियां

4533. डा० लक्ष्मीनारायण पांडे : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि से प्राप्त जीपों में से मध्य प्रदेश को कितनी जीपें दी गयी हैं ;

(ख) क्या वे जीपें परिवार नियोजन केन्द्रों अथवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को आवंटित नहीं की गयी हैं और बहुत से केन्द्र ऐसे हैं जिन्हें जीपें नहीं दी गयी हैं ; और

(ग) राज्य सरकारों को इस प्रकार की जीपें आवंठित करने की कसौटी क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) यूनिसेफ द्वारा देश के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को दी गई 566 गाड़ियों (जीपों) में से पिछले तीन वर्षों में मध्य प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को 49 गाड़ियां दी गई।